



## बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

### उभयलिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पूनर्वास एवं

न्याय तक पहुँच, योजना, 2023

(सितारा 2023)

#### योजना का उद्देश्य एवं विवरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना ये है कि विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया जाए ताकि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाए एवं आर्थिक या अन्य निर्याग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से विवित न रह जाए और लोक अदालतों का गठन किया जाए ताकि विधि संगत न्याय समानता के अधार पर सुनिश्चित किया जाए।

अधिकांश रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आशयित लाभार्थी व्यक्ति, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन, शोषण, सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक पद्धतियों, उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ भेदभाव एवं पक्षपात इत्यादि के कारणवश इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी संदर्भ में, विधिक सेवा प्राधिकरण की भुमिका अति सक्रिय होनी चाहिए की उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव की रोकथाम हेतु परिकल्पना किये गये उपाय, आशयित लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए। इसलिए यह योजना उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ भेदभाव की रोकथाम एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान के लिए एक तंत्र, आशयित लाभार्थियों द्वारा ऐसे उपायों तक पहुँच की सुविधा के लिए एक रूपरेखा और इन प्रक्रियाओं की प्रभावी समीक्षा के लिए एकमाध्यम के रूप में विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करें। यह योजना इस आधार पर तैयार की गई है कि उभयलिंगी व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वह एक सामाजिक बुराई है। बहुआयामी चिंताओं में स्वस्थ (मानसिक स्वास्थ सहित), आवास, पोषण, राजगार, पेंशन, मत्यु दर, शिक्षा तक पहुँच, न्याय तक पहुँच,

स्वच्छता, सब्सिडी और बुनियादी सेवाओं, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव आदि जैसे विषय शामिल हैं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार इस तथ्य से अवगत हैं कि उभयलिंगी समुदाय समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों में से एक है।

इसलिए, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 एवं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण,) नियम, 2020 के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करने और उभयलिंगी व्यक्तियों के समुचित कल्याण के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा एक पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं सभी हितधारक अपनी अपनी भुमिका और जिम्मेदारियों को समझ सकें और उसके अनुसार कार्य कर सकें।

### **1. योजना का नाम :-**

- (i). इस योजना का नाम “उभयलिंगी व्यक्तियों का एकीकरण, पूनर्वास एवं न्याय तक पहुँच, योजना, 2023”(सितारा 2023) है।
- (ii). इस योजना का विस्तार पूरे बिहार राज्य में लागू होगा।
- (iii). ये योजना बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

### **2. वैद्यानिक प्रावधान/न्यायिक आदेश /कार्यवृत्त**

- (i). अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण : किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्था नहीं।
- (ii). अनुच्छेद 39(ए): समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिकतंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी निर्याग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।;
- (iii). राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित न्यायिक आदेश द्वारा दिशानिर्देश (2014) 5 ए.सी.सी. पृष्ठ 438;
- (iv). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के खंड 19 में वर्ष 2017 में संशोधन के माध्यम से उभयलिंगी व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा की श्रेणी में शामिल किया है;
- (v). उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019;
- (vi). उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020;

(vii). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिनांक 18.08.2023 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, औद्योगिक विभाग, प्रधान सचिव, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, महानिरीक्षक कारा विभाग, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, बिहार कौशल मिशन एवं सदस्य सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उपस्थित थे। इस बैठक में विभिन्न संकल्प लिए गए। इन संकल्पों में संकल्प संख्या 01 उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनकी देखभाल के संदर्भ में निम्नलिखित संकल्प लिए गये :

1. समाज कल्याण विभाग उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए घर का मॉडल उपलब्ध करवाएं।
2. समाज कल्याण विभाग दो महिने के अन्दर पूरे बिहार में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान के लिए सर्वे करेगा और दो हप्ते में अंतरिम रिपोर्ट बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को समर्पित करेगा।
3. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक लघु उद्योग पटना एवं मुजफ्फरपुर उद्यौगिक क्षेत्र में बनाया जायेगा, जिसके लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार भूमि एवं वित्तीय मदद करेंगे।
4. समाज कल्याण विभाग इस बात पर भी ध्यान देगा कि उभयलिंगी व्यक्तियों के जन्म प्रमाण एवं शल्य चिकित्सा के बाद उनके प्रमाण पत्र में कोई विसंगति न हो।

### **3. परिभाषाएः:**

- (i). “अधिनियम” का अर्थ है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39);
- (ii). “विधिक सेवा संस्थान” का अर्थ है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अनुमण्डल विधिक सेवा समिति, जैसा भी मामला हो;
- (iii). “पैनल अधिवक्ता” का अर्थ है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएँ) विनियम 2010 के विनियमन 8 के तहत पैनल अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध अधिवक्ता;
- (iv). “अर्ध-विधिक स्वयंसेवक ( पी.एल.वी.)”का अर्थ है जो व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार योजना’ के तहत प्रशितिक्षण और एक विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध अर्ध-विधिक स्वयंसेवक ( पी.एल.वी.) हो ।
- (v). “सचिव” का अर्थ विधिक सेवा प्राधिकार या समिति का सचिव हो ;
- (vi). उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत परिभाषित “ उभयलिंगी व्यक्ति”।

#### **4. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय कोर समिति।**

(i). नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ निगरानी और सलाह देने के उद्देश्य से उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक राज्य स्तरीय कोर समिति होगी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय समिति में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी/नामित व्यक्ति शामिल हो सकते हैं:

- 1) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग;
- 2) एडीजीपी कमज़ोर वर्ग
- 3) महानिरीक्षक, कारा विभाग
- 4) राज्य उधोग विभाग
- 5) राज्य शिक्षा विभाग
- 6) कौशल विकास निगम/मिशन
- 7) राज्य स्वास्थ्य विभाग
- 8) बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (BSACS)
- 9) राज्य श्रम विभाग
- 10) उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रतिनिधि, एवं
- 11) सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

(ii). राज्य स्तरीय कोर समिति की बैठक हर तीन महीने में होगी, संकल्पों के कार्यन्यवन की समीक्षा और उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए निर्णय लेगी।

(iii). सदस्य सचिव निम्नलिखित जानकारी (**अनुलग्नक-क**) पर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकारों से ज़िलेवार प्राप्त मासिक रिपोर्टों के आधार पर समेकित त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तरीय कोर समिति के समक्ष पेश करेंगे:

- उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तैयार किए गए पहचान पत्रों की संख्या ;
- उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी/आपराधिक शिकायत की संख्या;
- सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या ;
- रोजगार दिए गए उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- लिंग प्रतिस्थापन सर्जरी कराने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;
- लाभार्थियों की संख्या;

- राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाने वाला कोई विशिष्ट समस्या। .
- (iv). ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त रिपोर्ट और अन्य कार्यक्रमों को अपलोड करने के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेगा।

## **5. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ज़िला स्तरीय कार्य समिति।**

- (i). हर ज़िला में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ज़िला स्तरीय कार्य समिति होगी। राज्य स्तरीय कोर समिति के निर्देशों के कार्यान्वयन एवं इष्टतम परिणाम के लिए विभिन्न विभागों और पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य और सहयोग लाना इसका प्राथमिक कर्तव्य होगा।
- (ii). ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में ज़िला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होगी और निम्नलिखित सदस्यों शामिल हो सकते हैं;
  - 1) ज़िला पदाधिकारी
  - 2) पुलिस अधिक्षक
  - 3) कारा अधीक्षक
  - 4) ज़िला समाज कल्याण विभाग
  - 5) ज़िला उद्योग विभाग
  - 6) ज़िला शिक्षा विभाग
  - 7) कौशल विकास निगम/मिशन
  - 8) सिविज सर्जन
  - 9) ज़िला श्रम विभाग
  - 10) उभयलिंगी व्यक्ति के प्रतिनिधि, एवं
  - 11) सचिव, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार.
- (iii). यह बैठक मासिक आधार पर ज़िला स्तरीय कार्य कमेटी द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर होगी। उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, एकीकरण, पूनर्वास एवं न्याय तक पहुँच के लिए किये गये कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य स्तरीय कोर समिति को भेजेगी।

## **6. योजना के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य**

- (i). उभयलिंगी व्यक्ति को दिए जाने वाले बुनियादी अधिकारों और लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करना;
- (ii). कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए राज्य ज़िला और उप-मंडल स्तर पर विधिक सहायता और विधिक सेवाओं को मजबूत करना;
- (iii). विधिक सहायता केन्द्र/साक्षरता क्लबों में अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अर्ध विधिक स्वयंसेवकों और छात्रों के पैनल की मदद से विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना;
- (iv). उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित सभी केंद्रीय या राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति, निर्देशों, संकल्प, नियमों और रिपोर्टों का डेटाबेस बनाना;

- (v). समाज के सामाजिक/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण एवं उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय विकसित करना।

## **7. अधिवक्ता एवं अर्ध विधिक स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला**

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार, सामाजिक सुरक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय बनाकर पैनल अधिवक्ता, अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों, कल्याणकारी योजनाओं से निपटने वाले विभागों के अधिकारियों, कानूनी सहायता क्लीनिकों/साक्षरता क्लब में छात्र स्वयंसेवक के कौशल विकास के लिए राज्य स्तर, ज़िला स्तर, ब्लॉक/ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस योजना को लागू करने के लिए उनके बीच गहन जुड़ाव की भावना विकसित करना ही लक्ष्य होगा।

## **8. न्यायालय संबंधित विधिक सेवाएँ।**

- (i). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों को न्यायालय संबंधित विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी उभयलिंगी व्यक्ति को समय पर विधिक सहायता प्रदान की जाए।
- (ii). प्रत्येक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार उभयलिंगी व्यक्ति से संबंधित मामलों का उचित निगरानी बनाए रखेगा।
- (iii). प्रत्येक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि उभयलिंगी व्यक्तियों को न्याय तक शीघ्र पहुंच प्रदान की जाए ताकि यदि कोई अपराध होता है और उभलिंगी व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह पुलिस से संपर्क कर सकें।

## **9. समर्पित हेल्पलाईन नंबर और ई-मेल।**

- (i). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एक समर्पित हेल्पलाईन नंबर और ई-मेल जारी करेगा।
- (ii). हेल्पलाईन नंबर उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जायेगा और ड्यूटी का रोस्टर उभयलिंगी व्यक्ति के लिए ज़िला स्तरीय कार्य समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।

(iii). समर्पित ई—मेल बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बनाया जाएगा और किसी भी उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी शिकायत होगी। ई—मेल पर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार को तत्काल कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

## **10. योजना के बारे में जागरूकता/प्रचार—प्रसार**

- (i). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार इस योजना के व्यापक प्रचार—प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दूरदर्शन, निजी चैनल, रेडियो, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी अखबार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस योजना का प्रचार करेगा, ताकि योजना के तहत लाभ की आवश्यकता वाला कोई भी व्यक्ति उपेक्षित न रहे।
  - (ii). उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राज्य स्तरीय कोर समिति संबंधित विभाग से प्रचार सामग्री, ऑडियो—विडियो जागरूकता सामग्री तैयार करने का निर्देश देगी और इसे उचित जागरूकता के लिए सभी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजा जाएगा।
- 

### **अनुलग्नक—क**

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उभलिंगी व्यक्तियों के लिए जिला स्तरीय कार्य समिति के समक्ष मासिक प्रतिवेदन निम्नलिखित जानकारी पर प्रस्तुत की जाएगी :—

- उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत तैयार किए गए पहचान पत्रों की संख्या;
- उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी/आपराधिक शिकायत की संख्या;
- सभी स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, छात्रवास/छात्रवृत्ति वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- रोजगार दिए गए उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- लिंग प्रतिस्थापन सर्जरी कराने वाले उभयलिंगी व्यक्तियों की संख्या;
- आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;
- केन्द्रीय/राज्य सरकारी एवं स्थानीय निकायों के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए योजनाएँ एवं लाभार्थीयों की संख्या;
- राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाने वाला कोई विशिष्ट समस्या। .

हस्ताक्षर  
सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकार